भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अंतारांकित प्रश्न संख्या: 531
दिनांक 09 दिसबंर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनसंख्या नियंत्रण

531. श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री मारगनी भरत:
श्रीमती गीताबेन वी. राठवा:
श्री सत्यदेव पचौरी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत के 2027 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए कोई नई रणनीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा जनसंख्या की असंतुलित वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु परिवार में एक या दो बच्चों तक की सीमा रखने सम्बन्धी परिवार नियोजन नीति को कार्यान्वित करने की योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): भारत के महापंजीयक (आरजीआई) की अध्यक्षता वाले टेक्नीकल ग्रुप ऑन पापुलेशन प्रोजेक्शंस (टीजीपीपी) की जुलाई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2027 में देश में अनुमानित जनसंख्या 1.436 बिलियन है।

परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सिद्धातों द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है:

1. **गर्भनिरोधकों के विस्तारित विकल्प:** इंजेक्टबल गर्भनिरोधक और सेंटक्रोमेन (छाया) नामक नए गर्भनिरोधक शामिल करके वर्तमान गर्भनिरोधक विकल्पों को बढ़ाया गया है।
2. गर्भनिरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं की सुलभता में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने के लिए 13 राज्यों में **मिशन परिवार विकास** कार्यान्वित है।
3. **नसबंदी कराने वाले के लिए क्षतिपूर्ति स्कीम** के तहत लाभार्थी को मजदूरी के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है।
4. लाभार्थियों को प्रसव के बाद **प्रसवोत्तर अंतरगर्भाशय गर्भनिरोधक उपकरण (पीपीआईयूसीडी)** गर्भपात पश्चात अंतरागर्भाशय गर्भनिरोधक उपकरण (पीएआईयुसीडी), तथा प्रसवोत्तर नसबंदी (पीपीएस) के रूप में गर्भावस्था के बाद गर्भनिरोधक सेवाए प्रदान की जाती हैं।
5. सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन तथा सेवा प्रदायगी के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर वर्ष 'वर्ल्ड पापूलेशन डे एंड फोर्टेनाइट' तथा 'वासेक्टॉमी फोर्टनाइट' मनाया जाता है।
6. आशाकर्मियों द्वारा लाभार्थियों के **घर पर गर्भनिरोधकों की प्रदायगी** की जाती है।
7. स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी वस्तुओं की हर कोने तक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **परिवार नियोजन लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सूचना (एफपी-एलएमआईएस)** कार्यान्वित की गई है।

सरकार के प्रयास जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं, तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रगति हुई है:-

- वर्ष 2019-21 (एनएफएचएस 5) में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) घट कर 2.0 हो गई है जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है।
- **36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में से 31** ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर (एनएफएचएस 5) का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
- **आधुनिक गर्भनिरोधक उपयोग** बढ़कर 56.5% (एनएफएचएस- 5) हो गया है।
- परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकताएं घटकर 9.4% (एनएफएचएस 5) हो गई हैं।
- क्रूड जन्म दर (सीबीआर) वर्ष 2020 (एसआरएस) घट कर 19.5% हो गई है।

*****